डिस्कलेमर

आदेश संख्या 20/2023-24 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

ऐरा/20019/सीजीएफ-जी/2010-11/वॉल्यूम- VIII (खंड फाइल)

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

आदेश संख्या 20/2023-24

ऐरा भवन
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली – 110003

जारी करने की तारीख: 27 सितम्बर, 2023

विषय : स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं/हवाईअड्डा प्रचालकों के संबंध में मौजूदा टैरिफ आगे 31.03.2024 तक वसूल करने की अंतरिम व्यवस्था।

यह निम्नलिखित स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं/हवाईअड्डा प्रचालकों के लिए उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली कार्गो हैंडलिंग, ग्राउंड हैंडलिंग और विमान में ईंधन की आपूर्ति संबंधी सेवाओं के संबंध में मौजूदा टैरिफ 30.09.2023 के बाद भी वसूल करने की अंतरिम व्यवस्था को बढ़ाने के संबंध में है:-

क्र. सं.	सेवा प्रदाता का नाम	हवाईअड्डा
(क)	**कार्गो हैंडलिंग सेवाएं**	
1	एक्सप्रेस इंडस्ट्री काउंसिल ऑफ इंडिया (ईआईसीआई)*	बैंगलुरू
2	मैनजीस एविएशन (बैंगलुरू) प्राइवेट लिमिटेड (एमएबीपीएल)	बैंगलुरू
3	केरल स्टेट इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेज लिमिटेड (केएसआईई)	कालीकट
4	केरल स्टेट इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेज लिमिटेड (केएसआईई)	त्रिवेन्द्रम
5	टीआरवी (केरल) इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (टीआईएएल)	त्रिवेन्द्रम
6	राजस्थान स्माल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड	जयपुर
7	कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड	कन्नूर
8	जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (जेआईएएल)	जयपुर
9	गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (जीआईएएल)	गुवाहाटी
10	जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड (जीएएल)	मोपा, गोवा
11	एआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड (एआईसीएलएएस)	चैन्नई
12		मैंगलोर
13		श्रीनगर
14		त्रिचि
(ख)	**फ्यूल फार्म और आईटीपी सेवाएं**	
15	बीपीसीएल कन्नूर फ्यूल फार्म प्राइवेट लिमिटेड	कन्नूर
16	भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड	मोपा, गोवा

(ग)	**ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं**	
17	सैलेबी ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज चैन्नई प्राइवेट लिमिटेड	चैन्नई
18	ग्लोबल फ्लाइट हैंडलिंग सर्विसेज (पुणे) प्राइवेट लिमिटेड	पुणे
19	बर्ड एयरपोर्ट सर्विसेज (चैन्नई) प्राइवेट लिमिटेड	चैन्नई
20	इंडो थाई गुवाहाटी प्राइवेट लिमिटेड	गुवाहाटी
21	इंडो थाई कोलकाता प्राइवेट लिमिटेड	कोलकाता
22	इंडो थाई कालीकट प्राइवेट लिमिटेड	कालीकट
23	इंडो थाई वाराणसी प्राइवेट लिमिटेड	वाराणसी
24	इंडो थाई पुणे प्राइवेट लिमिटेड	पुणे
25	इंडो थाई भुवनेश्वर प्राइवेट लिमिटेड	भुवनेश्वर
26	इंडो थाई अमृतसर प्राइवेट लिमिटेड	अमृतसर
27	ऑरिया सिवसुर्केत्वका एयरकैब जीएच सर्विसेज श्रीनगर प्राइवेट लिमिटेड	श्रीगर
28		चैन्नई
29		कालीकट
30		कोलकाता
31		अहमदाबाद
32		कोचीन
33		गुवाहाटी
34		अमृतसर
35	एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एआईएएसएल)	भुवनेश्वर
36		चंडीगढ़
37		गोवा
38		जयपुर
39		पटना
40		पुणे
41		वाराणसी
42		लखनऊ

दिनांक 21.09.2022 के पत्र द्वारा आईएसपी के अनुरोध के अनुसार इसे जनवरी, 2024 तक बढ़ा दिया गया है, क्योंकि सेवा प्रदाता द्वारा दिनांक 31.01.2024 तक इसके बंगलुरू प्रचालन बंद करने की संभावना है।

2. प्राधिकरण ने कार्गो हैंडलिंग, ग्राउंड हैंडलिंग और विमानों में ईंधन की आपूर्ति से संबंधित सेवा के लिए उपर्युक्त हवाईअड्डा प्रचालकों/स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं के संबंध में निम्नलिखित अंतरिम टैरिफ आदेशों (30.09.2023 तक वैध) के अनुसार पहले ही तदर्थ टैरिफ अनुमोदित कर दी थी:

i दिनांक 14.11.2022 का आदेश संख्या 28/2022-23

ii दिनांक 30.11.2022 का आदेश संख्या 29/2022-23

iii दिनांक 01.12.2022 का आदेश संख्या 30/2022-23

iv दिनांक 23.03.2023 का आदेश संख्या 42/2022-23

v दिनांक 20.04.2023 का आदेश संख्या 02/2023-24

vi दिनांक 20.04.2023 का आदेश संख्या 03/2023-24

vii दिनांक 19.05.2023 का आदेश संख्या 05/2023-24

viii दिनांक 31.05.2023 का आदेश संख्या 08/2023-24

ix दिनांक 11.07.2023 का आदेश संख्या 12/2023-24

3. कुछ स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं/हवाईअड्डा प्रचालकों से कार्गो हैंडलिंग, ग्राउंड हैंडलिंग और विमान में ईंधन की आपूर्ति संबंधी सेवाओं के संबंध में एमवाईटीपी/एटीपी प्रस्ताव प्राधिकरण को प्राप्त हो चुके हैं। इन प्रस्तावों के संबंध में टैरिफ निर्धारित करने की प्रक्रिया विभिन्न स्तरों पर जारी है। परंतु कुछ स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं/ हवाईअड्डा प्रचालकों से एमवाईटीपी अभी प्राप्त होना है।

4. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण को लगता है कि पूर्वोक्त सेवा प्रदाताओं के लिए टैरिफ निर्धारित करने की प्रक्रिया में थोड़ा समय लगेगा। इसलिए अंतरिम व्यवस्था के रूप में प्राधिकरण यह निर्णय लेता है कि उपर्युक्त तालिका-1 के अनुसार स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं/हवाईअड्डा प्रचालकों को 30.09.2023 को लागू मौजूदा टैरिफ की वसूली **01.10.2023 से 31.03.2024** तक की अगले छ: (6) माह की अवधि, या उनकी संबंधित नियंत्रण अवधियों के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, जारी रखने की अनुमति दी जाए।

आदेश

उपर्युक्त को देखते हुए प्राधिकरण भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1) (ए) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदेश देता है कि :-

(i) उपर्युक्त तालिका-1 में सूचीबद्ध किए अनुसार विभिन्न प्रमुख हवाईअड्डों पर कार्गो हैंडलिंग/ग्राउंड हैंडलिंग/ विमान में ईंधन की आपूर्ति संबंधी सेवाएं प्रदान करने वाले **स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं/हवाईअड्डा प्रचालकों** को 30.09.2023 को लागू मौजूदा टैरिफ की वसूली **01.10.2023 से 31.03.2024 तक** अगले छ: (6) माह की अवधि, या उनकी संबंधित नियंत्रण अवधियों के लिए ऐरा द्वारा नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, की अनुमति दी जाती है।

(ii) हवाईअड्डा प्रचालक यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके संबंधित 'प्रमुख हवाईअड्डों' पर प्रचालन कर रहे संबंधित स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं द्वारा एमवाईटीपी/एटीपी समय पर प्रस्तुत किया जाएगा।

(iii) हवाईअड्डा प्रचालक इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(कर्नल मनु सूदन)
सचिव

सेवा में,

स्वतंत्र सेवा प्रदाता/हवाईअड्डा प्रचालक – (संलग्नक I और II के अनुसार)

प्रतिलिपि सूचनार्थ

1. **सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003**
2. अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003